न्यायालय सहायक कलक्टर(S.D.O.)सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—20 /2010

वादीनी :— चैनीदेवी पत्नी स्व. देवीदास जाति संत निवासी—भाण्डियावस तहसील पचपदरा, जिला—बालोतरा (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण— 1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार, पचपदरा

2. भूराराम पुत्र धीमारामजी जाति जाट

3. बजरंगलाल पुत्र बिहारीलाल जाति पालीवाल

4. भगवाना पुत्र गोकला जाति पालीवाल

निवासीयान—भांडियावास, तहसील पचपदरा, जिला—बालोतरा

5. रावताराम पुत्र आदाराम जाति जाट

निवासी—कुंपलिया तहसील बायतु, जिला—बालोतरा

6. पपलाराम पुत्र किशनारामजी जाति भाट

निवासी— भांडियावास, तहसील पचपदरा, जिला—बालोतरा

7. हस्ती पुत्र मोडाराम जाति मेगवंशी निवासी—बालोतरा

8. हड़मान पुत्र पीराराम जाति पालीवाल निवासी—भांडियावास

9. ओमाराम पुत्र पीराराम जाति पालीवाल निवासी—भांडियावास

10. रावाराम पुत्र पीराराम जाति पालीवाल निवासी—भांडियावास

11. रमेशचन्द्र पुत्र पीराराम जाति पालीवाल निवासी—भांडियावास

12. सुरेशचन्द्र पुत्र पीराराम जाति पालीवाल निवासी—भांडियावास

13. केसीदेवी बेवा पीराराम जाति पालीवाल निवासी— भांडियावास

14. देवा पुत्र गेपरराम जाति राईका निवासी—भांडियावास

15. ठाकराराम पुत्र देवारामजी जाति जाट निवासी—भांडियावास

15/1 पुखराज पुत्र देवारामजी जाति घांची निवासी—पचपदरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:09 IST
Reason: SelfAttested

::निर्णय::

दिनांकः— 13-02-2026

उपस्थित :— 1. श्री उम्मेदसिंह चम्पावत अधिवक्ता वादीनी

2. श्री कैलाशपुरी प्रतिवादी संख्या 15

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

वादीनी ने वादपत्र सहायक कलेक्टर बालोतरा के समक्ष दिनांक 17.02.2010 को दायर किया जो न्यायालय हाजा में श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश कमांक 2022/420 दिनांक 18.04.2022 की पालना में प्राप्त हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में विधिक अग्रिम कार्यवाही शुरू की गयी। वादीनी ने वर्तमान वाद यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहस प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया है, वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि खेत खसरा नंबर 10 सरहद मौजा भांडियावास में स्थित है, जिसका रकबा काफी विस्तृत है। मगर उक्त खेत के उत्तरी दिशा की तरफ बाड़मेर से जोधपुर आम डामर सड़क गुजरती है, फलतः उक्त भूमि भू–माफिया गिरोह द्वारा हड़पने की पूर्व से सुनियोजित रणनीति थी। किंतु वक्त सेटलमेंट व उससे पूर्व उक्त खसरा नंबर 10 की 10 बीघा भूमि पर उक्त डामर सड़क के लगते ही दक्षिण की तरफ वादीनी व उसके पति देवीदास एवं उससे पूर्व देवीदास के पिता उदादास का ही निरन्तर कब्जा कास्त रहा। देवीदास द्वारा भांडियावास की प्याऊ पर आमजन के निरन्तर अपने पूरे जीवनकाल के दौरान पानी पिलाया जाता रहा व उक्त खेत में बनी ढ़ाणी में अपना निवास कर उक्त अपने खेत में खेती कर पति व पत्नी अपना व अपने बाल बच्चों का लालन पालन करते आ रहे है। धीरे–धीरे उक्त जमीन की कीमतें बढ़ने लगी और खसरा नंबर 10 के धीरे–धीरे राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी इच्छानुसार टुकड़े कर उक्त भूमि इस क्षेत्र के अति तेज व ताकतवर व्यक्तियों ने अपना नाम इन अधिकारियों से एलोट कराते हुए व खसरा नंबर 10 के अन्य छोटे छोटे खसरों के रूप में उक्त भूमि बदलती रही मगर वादीनी व उससे पूर्व उसका ससुर अति गरीब व मजदूरी पेशा होने के कारण उनका मौके पर स्थाई कब्जा कास्त होते हुए भी उनके नाम उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज नहीं हुई। सन् 1977 में वादीनी द्वारा सरकार की विशेष योजना के तहत उसने अपनी नसबंदी करवाई व उस वक्त तत्कालीन हल्का पटवारी मदनदासजी द्वारा व तत्कालीन तहसीलदार द्वारा इन्हे आश्वासन दिया गया कि उक्त भूमि का नियमन उनके नाम कर दिया जायेगा। परंतु अब उक्त भूमि की नकले लेने पर ज्ञात हुआ कि आज रोज तक उक्त भूमि वादीनी के नाम खाते में अंकित नही की गई है। फलस्वरूप उक्त वाद मजबूरन पेश करना आवश्यक हुआ है। खसरा नंबर 10 के प्रतिवादीगण के नाम निम्न खसरान व रकबा अंकित हो गये, किंतु वादीनी का मौके पर संलग्न परिशिष्ट 'अ' की भूमि का न तो कोई नया खसरा नंबर बनाया गया व न ही नक्शे में कोई तरमीम [illegible] किसी [illegible]दार के नाम ही अंकित की गई। खातेदार भूराराम खसरा नंबर 857/1[illegible] रकबा [illegible]10 बीघा, खसरा नंबर 859/10 रकबा 24.00 बीघा, बजरंगलाल [illegible] खस[illegible]बर 858/10 रकबा 12.00 बीघा, भगवानाराम खसरा नंबर 86[illegible] [illegible], खसरा नंबर 861/10 रकबा 12.00 बीघा, रावताराम खसरा नंबर 892/10 रकबा 20.00 बीघा, पपलाराम खसरा नंबर 893/10 रकबा 20.00 बीघा, हस्ती खसरा नंबर 894/10 रकबा 20.00 बीघा, हड़मान, भोमाराम, राजाराम, रमेश, सुरेशचन्द्र, केसीदेवी खसरा नंबर 895/10 रकबा 18.05 बीघा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:09 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर
S.D.O.) सिवाना

खसरा नंबर 896/10 रकबा 30.00 बीघा, ठाकराराम खसरा नंबर 897/10 रकबा 22.10 बीघा अंकित हुई, मगर वादीनी का पीढ़ीयों पुराना आज रोज तक निरतंर व निर्बाद कब्जा काश्त होते हुए भी महज उसकी गरीबी, अज्ञानता व अयोग्यता के कारण खसरा संख्या 10 की रकबा 10 बीघा भूमि उसके नाम खातेदारी अभिलेख में अंकित नही की गयी, 10 बीघा भूमि पर वादीनी का कब्जा काश्त मौके पर एक तरफ आम डामर सड़क व तीन तरफ स्थायी व पीढ़ीयों पुरानी खेत की माठ बने हुए है। वादीनी के कब्जा काश्त से किसी प्रतिवादीगण के खातेदारी खेत से कोई झगड़ा टंटा मौके पर विध्यमान नहीं है, मगर वादीनी के राजस्व खाते में उक्त भूमि अंकित नहीं होने की सुरत में वादीनी के हक अधिकार व कब्जा पर संशय के आवरण मंडरा रहे है, वादीनी कब्जा, काश्त के खातेदारी अधिकार अदृश्य रूप से अर्जित कर चुकी है, मगर कागजी रूप से उक्त भूमि उसके नाम अंकित नहीं होने से उसके द्वारा बार-बार संबंधित अधिकारी से निवेदन भी किये, किन्तु उनके द्वारा कोई परवाह नही की गयी, वादीनी को मौके से प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी की दुहाई देकर हटा सकते है, इसलिये बिना नोटिस के वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी के कब्जा काश्त में दखल देने की एवं उन्हें बेदखल करने की प्रबल संभावना है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें, खसरा संख्या 10 में भू-राजस्व अधिनियम लागू होने के पश्चात से आज दिन तक किसी भी तरह से कोई तरमीम नही की गयी है, फलतः उक्त वादग्रस्त भूमि का परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम कर वादीनी को खातेदार घोषित किया जावें, वादीनी की ओर से सन् 1977 में नसबंदी के दौरान हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि वादीनी के नाम अंकित करवाने का आश्वासन दिया गया, किन्तु वादीनी के नाम रेकर्ड में कोई भूमि दर्ज नहीं की गई, उक्त तथ्यों की जानकारी वादीनी को दिनांक 12.06.2009 को रेकर्ड की नकले लेने पर वाद हेतुक उत्पन्न हुआ।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, प्रतिवादी संख्या 4 व 6 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी, पूरे प्रकरण में मात्र प्रतिवादी संख्या 4, 6, 15 एवं 15/1 ने ही जबावदावा प्रस्तुत किये। प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी।

वादीनी की ओर से लिखित बहस व न्यायिक दृष्टांट (2014) 8 सर्वोच्च न्यायालय 282 रामकरण बनाम स्टेट ऑफ राज[illegible] (2014) 8 सर्वोच्च न्यायालय 294 GAIV DINSHAW AND OTHER Versus TEHMTAN IRA[illegible] AND OTHER डीएनजे 2004 पेज 263 सर्वोच्च न्यायालय रामे[illegible] बनाम एम. [illegible] नायडू पेश किये तथा प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस व न्यायिक दृष्टांत जगदीश बनाम श्री सीताराम आ.एल.डब्लयू. 2011(2) पेज 705 व 2025 (2) डी.एन.जे. रेव्यू. 1199 इमरती बनाम सरकार पेश किया गया, जिनका सादर अवलोकन व अध्ययन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

वाद में उभयपक्षकारन द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए–

तनकी नंबर 1– आया वादग्रस्त आराजी मौजा भांडियावास के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 10 बीघा भूमि वादीनी का कब्जा काश्त का होने से खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारीनी है, जिम्मे वादीनी

तनकी नंबर 2– आया वादीनी वाद घोषणा, स्थायी निषेद्याज्ञा पाने की अधिकारीनी है, जिम्मे वादीनी

तनकी नंबर 3– आया वादग्रस्त आराजी के संबंध में चाही गयी इस्तदुआं सरासर गलत होने से वादीनी खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारीनी नही, जिम्मे प्रतिवादी संख्या 4, 6, 16

तनकी नंबर 4– आया वादग्रस्त आराजी में वादीनी निषेद्याज्ञा पाने की अधिकारीनी नही है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 4, 6, 16

तनकी नंबर 5– अन्य दादरसी।

वाद पत्र के निस्तारण हेतु तनकीयात का विवेचन आवश्यक होने से तनकीयात का विवेचन किया जा रहा है।

तनकी नंबर 1 आया वादग्रस्त आराजी मौजा भांडियावास के खेत खसरा संख्या 10 में रकबा 10 बीघा भूमि वादीनी का कब्जा काश्त का होने से खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारीनी है, जिम्मे वादीनी।

चूंकि तनकी नंबर 1 व 2 का सिद्धी भार वादीनी पर है, वादीनी की ओर से साक्ष्य में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा अपनी साक्ष्य के समर्थन में पीडब्लयू 1 चैनीदेवी ने शपथ पत्र पेश कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 45 तक प्रदर्शित करवाये। , पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 10 या उसके तरमीमी बने खसरान में से कोई भी खसरा खाता नंबर 01 यानि सरकारी भूमि के रूप में दर्ज नहीं हुई है। सम्पूर्ण तरमीमी खसरान की भूमि अलग–अलग निजी व्यक्तियों के खातेदारी में दर्ज है, प्रतिवादी संख्या 4, 6 ने जो जबावदावा पेश किया है, उनके द्वारा कथन किया गया कि खसरा नंबर 10 की भूमि में कभी भी कब्जा [illegible] वादीनी या उसके पति का नहीं रहा, बल्कि मौके पर तरमीमी खसरा अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 व 6 की कब्जा काश्त है, वादीनी ने मनगढ़त तथ्यों को वाद पेश किया है, प्रतिवादी संख्या 15/1 पुखराज ने अभिवचन किया कि वादीनी ने उक्त खसरा की भूमि में अपनी ढ़ाणी होना बताया है वो सरासर गलत है, वादीनी का कभी भी 10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा, न कोई वादीनी ने काश्त ही की, 10 बीघा भूमि वादीनी को एलोट करने की कोई कार्यवाही संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादीनी मुख्य रूप से मूल खसरा संख्या 10 के

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:09 IST
Reason: SelfAttested

...बा में से 10 बीघा भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है, किन्तु उक्त भूमि पर वो किस प्रकार से काबिज हुई, इस संबंध में लैस मात्र दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये है मात्र शिकायते दर्ज करवाने से या मौका रिपोर्टो में मौके पर फसल होने से कब्जा के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि खसरा संख्या 10 के तमाम तरमीमी खसरान के खातेदारान को आवंटन के जरिये भूमि की खातेदारी दी गयी है, आवंटन को प्रश्नगत करने या आवंटन की वैद्यता को देखने का अधिकार क्षैत्र न्यायालय हाजा के पास नहीं है। वादीनी ने उक्त भूमि में से अपने नाम भूमि आवंटित करवाने की कोई कार्यवाही की हो, या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि आवंटन का आदेश जारी किया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है।

राजस्व विधि के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है, जबकि इसके विपरित अन्य व्यक्तियों के विधिक अधिकार अभिलेख, जमाबंदी खतौनी में उनके नाम दर्ज हो तथा मौके पर कब्जा, काश्त बाबत गिरदावरी भी नियमित रूप से दर्ज होती रही हो, नियमित रूप से दर्ज रही खातेदारी प्रविष्टियों को विलोपित कर वादीनी को खातेदार घोषित करने का कोई युक्तिसंगत आधार या दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जो भी दस्तावेज वादीनी ने वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत किये है वो यदि वादीनी को उक्त खसरा की भूमि में तत्समय में भूमि का भाग आवंटित किया जाता और आवंटन के आधार पर खातेदारी दर्ज नही होती तो खातेदारी दर्ज करने के लिये एक सहायक दस्तावेज के रूप में उपयोग लिये जा सकते है, खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिये उक्त दस्तावेजात किसी भी रूप से सहायक नही हो सकते है, अलावा इसके वादीनी स्वयं ने प्रतिवादीगण के नाम बाद आवंटन आगे भूमि पंजीकृत दस्तावेज के बेचान की गयी एवं राजस्व अभिलेखों में नाम भी दर्ज किये गये, दस्तावेज प्रस्तुत किये है तथा अपनी साक्ष्य में प्रदर्श अंकित भी करवाये है, विधि के अंतर्गत पंजीकृत दस्तावेज के सत्य होने की उपधारणा है, क्योंकि उनकी वैद्यता या औचित्य के संबंध में राजस्व न्यायालय को कोई विवेचन करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है, इस प्रकार वादीनी उक्त तनकी अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में असफल रही है, अलावा इसके जो पक्षकार न्यायालय में मामला प्रस्तुत कर अनुतोष चाहता है, उसे ही अपना मामला अपने पैरो पर खड़ा होकर साबित करना होता है, यदि प्रतिवादीगण के द्वारा कोई लैकुना या कमी रखी जाती है तो उस[illegible] सकता। इस प्रकार वादीनी भूमि खसरा संख्या 10 या उसके तरमीमी [illegible] खसरान में से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं है। [illegible] उक्त तनकी का निर्णय वादीनी के विरूद्ध किया जाता है। वादीनी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों का न्यायालय सम्मान करता है, किन्तु उक्त न्यायिक दृष्टांतो के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से लागू नहीं होते है। इस कारण वादीनी को कोई राहत प्राप्त नहीं हो सकती। अतः उक्त तनकी वादीनी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:09 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नंबर 2— आया वादीनी वाद घोषणा, स्थायी निषेद्याज्ञा पाने की अधिकारीनी है,

जिम्मे वादीनी।

चूंकि तनकी नंबर 1 का निर्णय वादीनी के विरूद्ध किया गया, जब वादीनी घोषणा का अनुतोष ही प्राप्त करने की अधिकारीनी नहीं रही है तो वादीनी प्रतिवादीगण जो राजस्व अभिलेख के रेकडेर्ड खातेदार है के विरूद्ध कोई निषेद्याज्ञा पाने की अधिकारीनी नहीं है, पूर्व तनकी में पूर्ण विवेचन किया जाकर तनकी वादीनी के विरूद्ध निर्णिय की गयी है, इसलिये इस संबंध में आयी साक्ष्य का पुनः विवेचन करना कतई उचित नहीं है। अतः उक्त तनकी वादीनी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 3— आया वादग्रस्त आराजी के संबंध में चाही गयी इस्तदुआं सरासर गलत होने से वादीनी खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारीनी नही, जिम्मे

प्रतिवादी संख्या 4, 6, 16

तनकी नंबर 4— आया वादग्रस्त आराजी में वादीनी निषेद्याज्ञा पाने की अधिकारीनी नही है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 4, 6, 16

चूंकि उक्त दोनों तनकीयात परस्पर संबंधित है, उक्त तनकीया प्रतिवादीगण के जिम्मे थे, प्रतिवादीगण ने उक्त तनकीयात को साबित करने का भार, उन पर होते हुए भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त दोनों तनकीयात का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

अनुतोषः—

चूंकि वादीनी अपने जिम्मे रही तनकियात को साबित करने में असफल रही है, इसलिये वादीनी कोई अनुतोष पाने की अधिकारीनी नही है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीनी का वाद खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें। इसी कदर डिकी पर्चा जारी हो।

(सुरेन्द्र सिंह खंगोरात)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगोरात)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

वादीनी :– चैनीदेवी पत्नी स्व. देवीदास जाति संत निवासी–भाण्डियावस
तहसील पचपदरा, जिला–बालोतरा (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण– 1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार, पचपदरा
2. भूराराम पुत्र धीमारामजी जाति जाट
3. बजरंगलाल पुत्र बिहारीलाल जाति पालीवाल
4. भगवाना पुत्र गोकला जाति पालीवाल
निवासीयान–भांडियावास, तहसील पचपदरा, जिला–बालोतरा
5. रावताराम पुत्र आदाराम जाति जाट
निवासी–कुंपलिया तहसील बायतु, जिला–बालोतरा
6. पपलाराम पुत्र किशनारामजी जाति भाट
निवासी– भांडियावास, तहसील पचपदरा, जिला–बालोतरा
7. हस्ती पुत्र मोडाराम जाति मेगवंशी निवासी–बालोतरा
8. हड़मान पुत्र पीराराम जाति पालीवाल निवासी–भांडियावास
9. ओमाराम पुत्र पीराराम जाति पालीवाल निवासी–भांडियावास
10. रावाराम पुत्र पीराराम जाति पालीवाल निवासी–भांडियावास
11. रमेशचन्द्र पुत्र पीराराम जाति पालीवाल निवासी–भांडियावास
12. सुरेशचन्द्र पुत्र पीराराम जाति पालीवाल निवासी–भांडियावास
13. केसीदेवी बेवा पीराराम जाति पालीवाल निवासी– भांडियावास
14. देवा पुत्र गेपरराम जाति राईका निवासी–भांडियावास
15. ठाकराराम पुत्र देवारामजी जाति जाट निवासी–भांडियावास
15/1 पुखराज पुत्र देवारामजी जाति घांची निवासी–पचपदरा

वाद अन्तर्गत धारा 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नंबर :– :–20 /2010 **निर्णय दिनांक :–13.02.2026**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह चम्पावत अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर डिक्री दी जाती वादीनी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दि. 13.02.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना